


उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

विकास शाखा :-
आदेश



सरकार के सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रांची के अधिसूचना 2015/692 दिनांक 31.03.15 के आलोक में जिला स्तरीय CSR कमिटी का गठन किया जाना है। यह कमिटी CSR कार्य चलाये एवं कार्य योजना पर्यवेक्षण कर इसका प्रतिवेदन कार्यपालक कमिटी को देगी। जिला स्तरीय CSR कमिटी के सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

1. उपायुक्त, खूँटी - अध्यक्ष।
2. उप विकास आयुक्त, खूँटी :- सदस्य।
3. सिविल सर्जन, खूँटी :- सदस्य।
4. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, खूँटी सदस्य।
5. जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी सदस्य।
6. कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, खूँटी सदस्य।
7. जिला योजना पदाधिकारी, खूँटी सदस्य।
8. जिला कल्याण पदाधिकारी, खूँटी सदस्य।
9. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, खूँटी सदस्य।
10. जिला अग्रणी प्रबंधक, खूँटी सदस्य।
11. कम्पनी प्रतिनिधि (उपायुक्त, खूँटी द्वारा मनोनीत) सदस्य।
क. तजना लाह फैंक्ट्री, खूँटी
ख. टाटा, खूँटी
ग. सी.सी.एल., खूँटी
घ. आई.ओ.सी.एल., खूँटी
ड. उषा मार्टिन, रांची
च. मेकोन, रांची

ह0/-
उपायुक्त,
खूँटी।


ज्ञापांक- 692/वि.

दिनांक- 06/05/15

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/चेम्बर ऑफ कॉमर्स, खूँटी / मनोनीत कम्पनी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सुश्री बेलमति जोंको, PMRDF/श्री रवि कुमार, PMRDF, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि CSR कमिटी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।



उपायुक्त,
खूँटी।